कार्य के लिए निविदाओं और संविदाओं के नियम

1.0 शर्तों के अर्थ :

निविदा और संविदा की इन नियमों में जब तक अपेक्षित न हो, निम्नलिखित परिभाषाएं एततव्दारा अभिप्रेत होंगी -

1.1 'निगम' से कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेलापुर, नवी मुंबई अभिप्रेत होगा जो इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी ओर से निविदाएं आमंत्रित करने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत निगम के अन्य किसी अधिकारी द्वारा संचालीत हैं।

1.2 "मुख्य इंजीनियर" से प्रत्येक मण्डल या जिले या निगम के कॉर्पोरेट कार्यालय में ओपन लाइन के प्रभारी अधिकारी मुख्य विद्युत इंजीनियर और मुख्य सिगनल एवं दूर – संचार इंजीनियर शामिल होंगे।

1.3 "मुख्य इंजीनियर / प्रभारी इंजीनियर" से कार्यकारी इंजीनियर या निर्माण- कार्य के लिए कार्यकारी प्रभार में मण्डल या क्षेत्रीय इंजीनियर अभिप्रेत होंगे जिसमें निगम के इंजीनियरी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अर्थात उप. मुख्य इंजीनियर / मुख्य इंजीनियर / उप मुख्य विद्युत इंजीनियर / क्षेत्रीय विद्युत इंजीनियर / उप मुख्य सिगनल एवं दूर–संचार इंजीनियर / क्षेत्रीय सिगनल और उप मुख्य सिगनल एवं दूर–संचार इंजीनियर, उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर / वरिष्ठ क्षेत्रीय यांत्रिक इंजीनियर शामिल होंगे।

1.4 "इंजीनियर के प्रतिनिधि" से निर्माण कार्य के सीधे प्रभार में सहायक इंजीनियर / वरिष्ठ इंजीनियर/सहायक विद्युत इंजीनियर/सहायक सिगनल एवं दूर–संचार इंजीनियर / सहायक यांत्रिक इंजीनियर अभिप्रेत होगा जिसमें निगम के सिवील इंजीनियरी, विद्युत, यांत्रिक या सिगनल एवं दूर–संचार विभाग के कोई भी निरीक्षक शामिल हैं।

1.5 'संविदाकार' से वह व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी अभिप्रेत होंगे जो निगम के साथ संविदा निष्पादित करते हैं और जिसमें निष्पादनकर्त्ता, प्रशासक, उत्तराधिकारी एवं अनुमति प्राप्त प्रतिनिधि शामिल हैं।

1.6 'संविदा' से कार्य आदेश अथवा करार सहित स्वीकृत दरों की अनुसूची, संविदा की सामान्य शर्तें, संविदा की विशेष शर्तें, यदि कोई हो, आरेख, विनिर्देश, यदि कोई हो और निविदा फार्म, यदि कोई हो अभिप्रेत होगा।

1.7 निर्माण कार्य से संविदा के अनुसार निष्पादित किया जानेवाला कार्य अभिप्रेत होगा।

1.8 'विनिर्देशों' से कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निर्माण कार्य और सामग्री, जैसा भी मामाला हो, जो संबंधित रेलों के मुख्य इंजीनियर के प्राधिकार के अंर्गत जारी किए गए हो, विशेष विनिर्देश, यदि कोई हों, उनके अंतर्गत बढ़ाए, जोड़े या अधिक्रमित किए गए हो, अभिप्रेत होंगे।

1.9 'आरेख' से नक्शे, आरेख, योजना और अनुरेखण अथवा उनके मुद्रण जो संविदा के अनुलग्नक में हों और जिनमें ऐसे आरेखों अथवा आगे के आरेखों में कोई आशोधन हों, अभिप्रेत होंगे जैसा कि इंजीनियर द्वारा समय-समय पर जारी किए जाते है।

1.10 “संरचनात्मक संयंत्र" से निर्माण कार्य अथवा अस्थायी कार्य (जैसे परिभाषित है) के निष्पादन, समापन और अनुरक्षण के लिए सभी उपकरण या जो अन्यथा अपेक्षित हों, अभिप्रेत होगा लेकिन इसमें स्थायी कार्य के हिस्से के लिए मांगी गई सामग्री अथवा अन्य वस्तुएं शामिल नहीं होंगी।

1.11 "अस्थायी कार्य" से निर्माण कार्य के निष्पादन, समापन और अनुरक्षण कार्य के लिए आवश्यक सभी प्रकार के अस्थायी कार्य अभिप्रेत होंगे।

1.12 निर्माण स्थल से भूमि और अन्य स्थान, जिन पर, जिनके अंदर और जिनमें अथवा जिन से होकर कार्य पूरा किया जाना है तथा संविदा के प्रयोजनों के लिए निगम द्वारा अन्य कोई भूमि अथवा स्थान अभिप्रेत होंगे।

1.13 अनुरक्षण की अवधि से समापन की तारीख से अनुरक्षण की विनिर्दीष्ट अवधि अभिप्रेत होगी जैसे इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किया गया हों।

2.0 व्याख्या :

निविदाओं और संविदाओं के लिए इन नियमों को संविदा की सामान्य शर्तों के साथ संयोजन के रूप में पढ़ा जाएगा जो यहां संदर्भित कर रहे हैं और यह निविदा प्रपत्र से संलग्न संविदा की विशेष शर्तों और / या विशेष विशिष्टताओं में संशोधन, परिवर्धन या अधिक्रमण के अधीन होगा।

3.0 निविदा दस्तावेज की उपलब्धता :

3.1 कार्य के लिए आरेख कार्यालय समय के दौरान किसी भी समय में मुख्य इंजीनियर, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन, बेलापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

3.2 कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विभिन्न कार्यों के लिए संविदा की सामान्य शर्तें, प्रारुप की मानक विशेष शर्तें, प्रारुप की अतिरिक्त विशेष शर्तें और ट्रैक कार्यों से संबंधित विनिर्देशों को मुख्य इंजीनियर, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेलापुर के कार्यालय में कामकाज के समय में देखा जा सकता है।

3.3 सुधार पत्रों के साथ "प्रारुप की सामान्य शर्तें" और मानक विशेष शर्तें, अतिरिक्त विशेष शर्तें, ट्रैक से संबंधित कार्यों के लिए अतिरिक्त विनिर्देश टेंडर फार्म के साथ संलग्न नहीं है। वही 500 रुपये के भुगतान पर मुख्य इंजीनियर कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेलापुर के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

4.0 चूक और विसंगतियाँ :

किसी भी निविदाकार को आरेख में चूक मिलती है, या किसी भी निविदा प्रपत्र में विसंगतियाँ दिखती है या उनके अर्थ के बारे में संदेह होता हैं, वह एक बार निविदाएं आमंत्रित करनेवाले अधिकारी को सूचित करना चाहिए जो सभी निविदाकर्ताओं को एक लिखित निर्देश भेज सकता है। यह समझा जाना चाहिए कि किसी भी प्रकर की त्रुटि से बचने का हर प्रयास किया गया है जो निविदा के आधार को प्रभावित करेगा। सफल निविदाकार किसी भी त्रुटि जो बाद में पता चले, उसके ऊपर ले और इस संबंध में कोई दावा नहीं करेगा।

5.0 ठेकेदार के क्रेडेंशियल्स :

निविदाकार / ठेकेदार जिसने इस निगम के लिए अब तक काम नहीं किया है और निगम के ठेकेदारों की स्वीकृत सूची पर जिसका नाम नहीं है उन्हें निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहिए;

क) एक स्वतंत्र ठेकेदार के रूप में अपनी स्थिति;

ख) संतोषजनक ढंग से काम को शुरू करके उसे समाप्त करने की उसकी क्षमता जो एक जिम्मेदार अधिकारी या फर्म द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए।

ग) अनुबंधित किये जाने वाले कामों के समान काम करने का पिछला अनुभव इसलिए मूल प्रमाण-पत्र या प्रशंसापत्र को सबूत के तौर पर बुलाया जा सकता है और उनकी असलियत अगर जरूरत हो, तो उसके हस्ताक्षरकर्ताओं के संदर्भ में जांची जा सकती है।

घ) जिस क्षेत्र या क्षेत्रों में वह काम करना चाहता है उसके संसाधनों के वास्तविक व्यक्तिगत जांच से ज्ञान का अवलोकन।

ड) उसकी व्यक्तिगत रूप से या सक्षम और विधिवत अधिकृत एजेंटों द्वारा काम की निगरानी करने की क्षमता;

च) उसकी वित्तीय स्थिति और

छ) आयकर क्लीयरेंस प्रमाण-पत्र की अधिकृत कॉपी जिसके बिना निविदा अस्वीकृति हो सकती है।

5.1 निविदाकार ने पहले निगम पर काम करने के बावजूद निविदाकार / निविदाकर्ताओं को उनका इन्कमटेक्स क्लीयरेंस प्रमाण-पत्र या शपथ-पत्र विधिवत आयकर अधिकारी द्वारा उसके / उनके पास कर योग्य आय नहीं होने के बारे में प्रतिहस्ताक्षरित अधिकृत कॉपी प्रस्तुत करना जरुरी है। निविदाकार / निविदाकार के पिछले अनुभव और वित्तीय स्थिति के लिए गवाही दस्तावेज की अधिकृत कॉपी निगम द्वारा मांग करने पर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

6.0 बयान राशि :

6.0 निविदा सूचना में निर्दिष्ट बयाना राशि निविदा के साथ संलग्न करना चाहिए। बयाना राशि का भुगतान नकदी में या जमा रसीद, डिमांड ड्राफ्ट, राष्ट्रीयकृत बैंकों से या अनुमोदित अनुसूची बैंकों से पे ऑडर के रुप में कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेलापुर, नवी मुम्बई के पक्ष में करना चाहिए। जिन निविदाओं के साथ बयाना राशी नहीं है उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

6.1 निविदा में निर्दिष्ट की गई तारीख तक निविदाकार को प्रस्ताव खुला रखना पडेगा। यह समझा जाता है कि निविदा दस्तावेजों को बेच दिया गया है / जारी किया गया है। निविदाकार को उसकी निविदा प्रस्तुत करने के बाद अपने हिस्से पर शर्त के विचार में निविदा में लेने के लिए इस शर्त पर अनुमति दी है की पिछे न ले या उसकी नियमों और शर्तों को निगम मुख्य इंजीनियर / क्षेत्रीय इंजीनियर को अस्वीकार्य रुप से संशोधित नहीं करेंगे। निविदाकार पूर्वगामी शर्त का पालन करने में विफल रहेगा। ऊपर शर्त के पालन के कारण जमा की गई सुरक्षा जमा रकम को जब्त कर लिया जाएगा। यदि निविदा स्वीकार किया जाता है, बयाना राशि सुरक्षा जमा के रूप में प्रारुप के विश्वसनीय पूर्ती के लिए रख ली जाएगी। असफल निविदाकर्ताओं की बयाना राशि को असफल निविदाकारों को लौटाया जाएगा। लेकिन निविदा में दी गयी समयावधी के अनुसार प्रस्ताव को खुले रखने के वजह से सुरक्षा ठेव को अपने कब्ज में रखने के समय तक किसी भी हानि या मूल्यह्रास के लिए निगम जिम्मेदार नहीं होगा और न ही ब्याज सहित भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

6.2 स्थायी बयाना जमा :

जिनके नाम कोंकण रेलवे के ठेकेदार की स्वीकृत सूची में है उन ठेकेदारों से स्थायी बयाना जमा के रूप में बयाना जमा करने के लिए पात्र है। ऐसे मामलों में, निविदाकर्ताओं / ठेकेदारों को अलग बयाना जमा भुगतान उनकी निविदाओं को प्रस्तुत करते समय अलग बयाना जमा भुगतान करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, निविदाकार / ठेकेदार को यह समझ लेना चाहिए यदि किसी भी कारण से वापस ली गयी जमा बयाना रक्कम को उपलब्ध स्थायी बयाना जमा रक्कम से काटके जब्त किया जाएगा। जब तक ठेकेदार स्थायी बयाना जमा रक्कम में हुई कमी को पुरी नहीं करता, उसे आगे निविदाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावा, अगर ठेकेदार अपने उद्धृत दरों से तीन बार के लिए वापस हटता है तो, ऐसे ठेकेदार के नाम अनुमोदित सूची से हटाने के लिए उत्तरदायी रहेंगे ।

6.3.1 ठेकेदार / संविदाकारों द्वारा प्राप्त किए गए व्यक्तिगत संविदाओं के लिए ये राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट से समायोज्य नहीं होंगी। एक निविदाकार, जो कार्य के लिए निविदा करने के लिए इच्छुक है जिसकी बयाना उसके स्थायी बयाना से अधिक है, को पूर्ण बयाना नए सिरे से डिपॉज़िट करना होगा।

7.0 आयकर अनापत्ति प्रमाणपत्र :

यदि निविदा स्वीकार करते समय ठेकेदार ने उसके द्वारा पिछला प्रस्तुत किया गया आई.टी. सी.सी की वैधता अवधि समाप्त हो गई है तो उसे वर्तमान वैध आय कर अनापति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । इस संविदा के अधीन किए गए कार्यान्वित कार्य या आपूर्ति की गई सामग्री के लिए ठेकेदार को 90% का भुगतान किया जाना चाहिए और ठेकेदार द्वारा जब तक वर्तमान वैध आयकर अनापति प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक कॉर्पोरेशन द्वारा 10% का भुगतान ठेकेदार को नहीं किया जाएगा तथा ठेकेदार भी 10% भुगतान के लिए दावा प्रस्तुत नहीं करेगा।

8.0 कोटेशन फार्म :

निविदा निम्न रूपों में प्रस्तुत की जाएगी जो निविदा अनुसूची के रूप में निर्धारित की जाएगी।

i. शेड्यूल में दिखाई गई दरों के समान या उससे अधिक या उससे कम दर में प्रतिशत दर्शाते हुए ।

ii. निविदा अनुसूची की प्रत्येक मद के लिए व्यक्तिगत दरें।

प्रतिशत / दर स्पष्ट रूप से आकडों तथा शब्दों में दर्शानी चाहिए। यदि प्रतिशत दरों के आकडों तथा शब्दों में किसी प्रकार की विसंगतियाँ होंगी तो दर्शाए गए प्रतिशत दरों के आकडें अंतिम माने जाएंगे । इसे निवादा / निवादाओं के ऑफर के लिए सही माना जाएगा।

8.1 निविदा अनुसूची में निहित निर्देशों के उल्लंघन में उद्धरण के साथ निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।

9.0 निविदा प्रस्तुत करने की सावधानियां :

9.1 निविदाकार कार्य की साइट देखनी चाहिए और स्वयं कार्य गर्जों को सुनिश्चित करना चाहिए। अर्भाव कार्य, कार्यान्वयन के दौरान पहूंच सड़कें और उनकी उपलब्धता सामग्री की उपलब्धता, इलेक्ट्रीकल पावर, पीने तथा कार्य के लिए पानी, कार्य स्थल पर लेबर कैम्पस, भंडार, गोदाम, नेतृत्व क्षमता। कार्य पुरा करने की क्षमता, कुशल अळुगल, मजदूरों की उपलब्धता आदि सांक्षिप्त में ठेकेदार की स्वयं कार्य स्थल पर की स्थिति का पता होना आवश्यक है और टेंडर फार्म के साथ संलग्न प्रोफार्मा में इस संबंधी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

9.2 निविदा प्रस्तुत करने से पहले, निविदाकार खुद को और काम की साइट इलाकों के वास्तविक निरीक्षण से संतुष्ट है ऐसा माना जाएगा । कार्य के निष्पादन के दौरान सभी स्थितियों को ध्यान में रखकर परिव्यापक प्रतिशत/ दर निविदा प्रपत्र में दर्शाया जाएगा जिसमें प्रारूप की सामान्य शर्तों की धारा 36 की प्रावधानों की तहत इंजिनीयर की पुरी संतुष्टि के साथ काम पूरा करना भी शामिल होगा ।

9.3 जब काम करने के लिए ठेकेदारों की फर्म या कंपनी द्वारा निविदा प्रस्तुत की जाती है, निविदा को कानूनी तौर पर उनकी ओर से प्रारूप प्रतिबद्धताओं में प्रवेश करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए ।

निगम निविदाकार द्वारा दी गयी किसी भी पावर ऑफ एटोर्नी से बाध्य नहीं है। संविदा के निष्पादन के बाद किये फर्म की संरचना में किए गए परिवर्तन से निगम बाध्य नहीं हैं। हालांकि, यह समझ लेना चाहिए की ऐसी पावर ऑफ एटोर्नी और उचित कानूनी सलाह प्राप्त करने के बाद किए गए परिवर्तन से आनेवाली लागत ठेकेदार को प्रभार्य होंगी।

9.4 निविदा दस्तावेज में इरेझर्स और परिवर्तन युक्त निविदाएं अस्वीकार की जा सकती

हैं. निविदाकार / निविदाकर्ताओं के द्वारा अपने / अपनी प्रविष्टियों में बनाई गई कोई भी सुधार उसे /उन्हें सत्यापित करना चाहिए।

9.5 यदि निविदाकार राजपत्रित रैंक के एक सेवानिवृत्त इंजीनियर या किसी भी अन्य राजपत्रित अधिकारी जो कार्यपालिका या प्रशासनिक क्षमता में अपनी सेवानिवृत्ति से पहले काम कर रहें हो या भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वामित्व वाले और इंजीनियरिंग विभाग में पेंशनी पद धारण कर रहें हो या नहीं प्रशासित या एक निविदाकार जो एक साझेदारी फर्म है और अपने भागीदारों में एक पूर्वोक्त सेवानिवृत्त इंजीनियर या राजपत्रित अधिकारी हो या निविदाकार एक निगमित कंपनी हो जिसमें ऐसे किसी भी सेवानिवृत्त इंजीनियर या सेवानिवृत्त अधिकारी उस कंपनी के निर्देशक हो, या निविदाकार उनके रोजगार में किसी भी पूर्वोक्त सेवानिवृत्त इंजीनियर या सेवानिवृत राजपत्रित अधिकारी हो सेवा से यह इंजीनियर की सेवानिवृत्ति की तारीख के रूप में पूरी जानकारी और ऐसे मामलों में जहां राजपत्रित अधिकारी उपर दी गई लेवल का हो और इस तरह के इंजीनियर या अधिकारी जो सरकारी सेवा से निविदा प्रस्तुत करने की तारीख से कम से कम दो साल पहले सेवानिवृत्त नहीं होगा, क्या इस तरह के अनुबंध लेने की अनुमति है या अगर ठेकेदार एक साझेदारी फर्म या एक निगमित कंपनी हो या भागीदार या निदेशक बनाना चाहते है या ठेकेदार के तहत रोजगार लेते है तो, निविदाकार निविदा प्रस्तुत करते समय भारत के राष्ट्रपति या विधिवत उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी से लिखित रूप में अनुमति स्पष्ट की जानी चाहिए । ऊपर दी गयी जानकारी के बिना या ऐसा बयान की ऐसा कोई सेवानिवृत्त इंजीनियर या सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी निविदाकार के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, जैसा भी मामला हो, जिसके बिना निविदा अस्वीकृत हो सकती है।

9.6 यदि निविदाकार या ठेकेदार एक व्यक्ति होने के नाते, कोई रिश्तेदार निगम के इंजीनियरिंग विभाग में राजपत्रित क्षमता में कार्यरत हो या साझेदारी फर्म या भारतीय कंपनी कानून के तहत गठित कंपनी के भागीदार के रिश्तेदार या भागीदार या शेयरधारक या शेयरधारक का रिश्तेदार निगम के इंजीनियरींग विभाग में राजपत्रित क्षमता में कार्यरत हो तो निविदाएं आमंत्रित करनेवाले अधिकारी निविदा के प्रस्तुतिकरण के समय में इस तथ्य के बारे में सूचित करना चाहिए, और ऐसे सूचीत न करने पर निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा, या निगम के इंजीनियरिंग विभाग में राजपत्रित क्षमता में नियोजित किया जा, अगर ऐसे तथ्य बाद में पता चलने पर आता है अनुबंध. अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 62 में दीए प्रावधान के अनुसार अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा।

9.7 विशेष, प्रकार के कार्यों के लिए विषेश प्रकार के उपकरणों के उपयोग की आवश्यकता

होती है। निविदाकार वर्तमान काम के निर्माण के लिए प्रस्तावित संयंत्र और मशीनरी की एक व्यापक सूची प्रस्तुत करें जिसमें, उनकी बनावट वर्तमान मूल्यें और पहचान संख्या आदि शामिल हो और यह इंगित करे कि निविदा के समय में उनके पास कितने संयम और मशिनरी आसानी से उपलब्ध हैं।

10.0 प्रस्ताव की वैधता :

निविदाकार को अपना प्रस्ताव निविदा खोलने की तारीख से कम से कम 90 दिनों तक खुला रखना होगा जिस अवधि के लिए निविदाकार अपना प्रस्ताव वापस नहीं ले सकते हैं जो समय-समय पर आपसी सहमति से बढांए गए समय के अनुसार लागू होगा । ऊपरी शर्त के कोई भी उल्लंघन से निविदाकार की बयाना / जमा राशि / स्थायी बयाना जमा राशि जब्त की जाएगी।

11.0 निविदा की प्रप्ति और खोलना :

11.0 निविदाएं सील किए गए लिफाफे में संलग्न करके उसके उपर काम का नाम लिखे, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेलापुर, नवी मुंबई के पते पर कूरियर / पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए ताकि निविदाओं की प्राप्ति के लिए निविदा सूचना में निर्दिष्ट समय और दिनांक से पहले इस कार्यालय में पहुंचे या कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यालय में रखे विशेष बॉक्स में जमा करें । निविदाएं, निविदा नोटिस में निर्दिष्ट समय और तारीख पर खोली जाएगी ।

11.1 निर्धारित किए गए समय और स्थान पर, काम के लिए प्राप्त निविदाए निगम के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा खोली जाएगी और जहां साध्य, निविदाकर्ताओं के नाम और उनके द्वारा दी गई दरों को उपस्थित इच्छुक निविदाकार या उनके एजंटो की उपस्थिति में पढ़ा है ।

11.2 उपर दी गयी किसी भी शर्तों के गैर अनुपालन के परिणामस्वरूप निविदा अस्विकृत की जाएगी ।

13.0 निविदाओं के साथ व्यवहार करने के लिए निगम के अधिकार :

13.1 किसी भी काम के लिए निविदाओं को आमंत्रित करने का, या खोलने या सीमित निविदाओं को आमंत्रित करने का और पूरे या हिस्से में निविदा को स्वीकार करने का या किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को बिना उसके कारणों को बताएं अस्वीकार करने का अधिकार निगम सुरक्षित रखता है।

13.2 उल्लखित प्राधिकरी द्वारा न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए और अपने / अपनी निविदा की अस्वीकृति के कारणों के स्पष्टीकरण की मांग निविदाकार नहीं करेगा।

13.3 यदि निविदाकार/ निविदाकर्ता, जानबूझकर अपने / अपनी निविदा में गलत जानकारी देते है या अपने / अपनी निविदा की स्वीकृति के लिए परिस्थितियों बनाता/बनाते है, तो निगम किसी भी स्तर पर इस तरह की निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

13.4 कार्पोरेशन यह समझेगा कि यदि एक निविदाकार निविदा प्रस्तुत करने के बाद या निविदाओं की स्वीकृति के बाद मृत्यु हो जाएगी तो ऐसी निविदा रद्द कर दी जाएगी। यदि एक फर्म का एक भागीदार अपनी निविदा प्रस्तुत करने के बाद या निविदा की स्वीकृति के बाद मृत्यु हो जाती है और यदि फर्म अपने स्थान बरकार रखना नहीं चाहता तो कॉर्पोरेशन ऐसी निविदा को रद्द समझेगा।

14.0 चर्चा :

कॉर्पोरेशन दरों को कम करने के लिए चर्चा करेगा। यदि चर्चा से कुछ बात नहीं बनी तो मामले में मूल प्रस्ताव बाध्य रहेंगे ।

15.0 संविदा दस्तावेजों का निष्पादन :

15.1 सफल निविदाकार (ओं) को कोंकण रेलवे के मुख्य इंजीनियर / उप मुख्य इंजीनियर / क्षेत्रीय इंजीनियर / कार्यकारी इंजीनियर को संविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार काम करने के लिए करार करने की आवश्यकता है।

15.2 निविदाकार, जिसकी निविदा स्वीकार की गई है को मुख्य इंजीनियर / क्षेत्रीय रेलवे प्रबंधक कार्यालय में व्यक्तिगत या यदि फर्म या कॉर्पोरेशन, विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि ने आना चाहिए और संविदा प्राप्त होने के सात दिनों के अंदर संविदा दस्तावेजों को निष्पादित करना होगा । ऐसा करने में विफल होने पर मामले में बयाना निविदा के साथ जैसे डिफॉल्ट के लिए नुकसान के रूप में कॉर्पोरेशन द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और निविदा की स्वीकृति से प्रभावित समझौते का उल्लघंन माना जाएगा।

15.3 प्रत्येक संविदा दस्तावेजों में पूरा होना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी और ठेकेदार द्वारा संविदा दस्तावेजों के 5 से कम प्रतियां हस्ताक्षर नहीं किऐ जाएंगे और एक प्रति

ठेकेदार को दी जाएगी।

15.4 करार करने और स्टैंप ड्यूटी में लगने वाले सभी खर्च कोकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वहन किया जाएगा।

16.0 निविदा दस्तावेज में 'शुध्दी पर्ची' जहाँ वर्णित है उस में परिशिष्ट पर्ची, शुद्धिपत्र / करेक्शन स्लिप या दोनों शामिल होंगे।

अद्यतन 30-04-2025